न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–**79 / 2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री बाबूलाल पिता सुवालाल बलाई निवासी रामपुरिया पो0 कीड़ीमाल वाया आसीन्द जिला भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार करेड़ा

---अपीलार्थी ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 20 / 09 / 2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, करेड़ा के विरूद्ध दिनांक 08.08.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 676301 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 03.07.2017 को प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार करेड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.07.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01 / 09 / 2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को दिनांक 12.09.2017 की पेशी का सूचना पत्र जारी किया गया। नियत दिनांक 12.09.2017 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं हुए एवं पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से आगामी दिनांक 20.09.2017 नियत की गई।

दिनांक 20.09.2017 को अपीलार्थी उपस्थित नहीं एवं प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रतिवेदन पत्रांक1016 दिनांक 13.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना हमदस्त दिनांक 15.09.2017 को उपलब्ध करा दी । अपीलान्ट ने सूचना प्राप्ति एवं अपील में कार्यवाही नहीं चाहने हेतु प्रत्युत्तर पर हस्ताक्षर किए है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रत्यर्थी को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वांछित सूचना अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करादी गई है तथा स्वयं अपीलान्ट भी कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20 / 09 / 2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा